भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2080
जिसका उत्तर शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

न्याय तक पहुंच के लिए कानूनी सुधार

2080. श्री कृष्णपाल सिंह यादव :
श्री मुकेश राजपूतः
श्री संजय सेठ :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
श्रीमती रंजनबेन भट्ट :
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटील :
श्री बसंत कुमार पंडा :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
डॉ. सुजय विखे पाटील :
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :
श्री एल. एस. तेजस्वी सूर्या :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) न्याय तक पहुंच में सुधार लाने के लिए पिछले नौ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा क्या प्रमुख कानूनी सुधार और पहल लागू की गई हैं ; और
(ख) न्यायिक प्रणाली को सुव्यवस्थित करने, नागरिकों में कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने और पुराने कानूनों को निरस्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी हाँ। विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (डीओजे) ने देश भर में विधिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और विधिक साक्षरता और जरूरतमंद लोगों के सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल/परियोजनाएं शुरू की हैं।

2017 में, डीओजे ने न्याय तक पहुंच के अधीन दो प्रमुख विधिक सहायता और सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें टेली-लॉ (प्रौद्योगिकी के माध्यम से जमीनी स्तर पर विधिक सहायता को मुख्यधारा में लाना), और प्रायोगिक तरीके से लागू करने के लिए न्याय बंधु को बढ़ावा देना शामिल है। "2021 में, इन सभी कार्यक्रमों को पांच वर्षों (2021-2026) की अवधि के लिए शुरू की गई ""भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना"" (दिशा) नामक एक व्यापक अखिल भारतीय स्कीम में विरचित किया गया था।" दिशा योजना का उद्देश्य विधिक सेवाओं की आसान, सुलभ, किफायती और नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करना है। 30 नवंबर 2023 तक, 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के 782 जिलों में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में टेली-लॉ सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और 60,23,222 लाभार्थियों को

विधिक सलाह दी गई है। न्याय बंधु सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन मुफ्त विधिक सहायता के हकदार इच्छुक प्रो बोनो अधिवक्ताओं और रजिस्ट्रीकृत लाभार्थियों के बीच न्याय बंधु आवेदन (एंड्रॉयड / आईओएस पर उपलब्ध) पर निर्बाध संयोजन को समर्थ बनाती है। 30 नवंबर, 2023 तक, 10629 प्रो बोनो अधिवक्ता हैं और 89 लॉ स्कूलों ने विधि के छात्रों के बीच प्रो बोनो की संस्कृति की सुविधा के लिए प्रो बोनो क्लब का गठन किया है। इसके अलावा, राज्य और जिला और स्थानीय स्तर पर लगभग 6 लाख लाभार्थियों को विभिन्न अधिकारों, कर्तव्यों और पात्रता के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाया गया है।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना देश के जिला/अधीनस्थ न्यायालयों की आईसीटी सक्षमता के लिए एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना है ताकि न्यायालयीन प्रक्रियाओं में तेजी लाकर मामलों के तेजी से निपटान की सुविधा प्रदान की जा सके और न्यायपालिका के साथ-साथ वादकारों, वकीलों और अन्य हितधारकों के लिए मामले की स्थिति, आदेशों/निर्णयों आदि पर जानकारी का पारदर्शी ऑनलाइन प्रवाह प्रदान किया जा सके। राष्ट्रीय ई-शासन योजना के हिस्से के रूप में, ई न्यायालय मिशन मोड परियोजना "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए कार्यान्वयनाधीन है।

प्रारंभिक चरण में, 14,249 न्यायालयीन साइटों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 2015 में शुरू हुई परियोजना के चरण II में, 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है और भारत भर में कुल न्यायालय परिसरों का 99.4% डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा, विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं शुरू की गई हैं। 24.47 करोड़ मामलों की स्थिति की जानकारी और 24.13 करोड़ से अधिक आदेश/निर्णय राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों द्वारा 2.92 करोड़ मामलों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4.82 लाख मामलों की सुनवाई की गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ और 7 उच्च न्यायालय में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई। यातायात अपराधों का विचारण करने के लिए 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 25 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 875 ईसेवा केंद्रों को कार्यात्मक बनाया गया है। अतिरिक्त विशेषताओं में सीआईएस, एनजेडीजी, जस्टिस ऐप फॉर जज, ईफाइलिंग, ई-भुगतान, निर्णय और आदेश खोज पोर्टल, एनएसटी ईपी, जस्टिस क्लॉक आदि शामिल हैं।

वर्तमान में, ई-न्यायालय चरण-III को 7,210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इस चरण का उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच बनाना और न्यायालयों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक सहज और कागज रहित इंटरफ़ेस प्रदान करना है। ई-न्यायालय चरण-III की महत्वपूर्ण विशेषताओं में न्यायालय के अभिलेख का डिजिटलीकरण, विरासत अभिलेख और लंबित मामलों दोनों शामिल हैं; आसान पुनर्प्राप्ति के लिए अत्याधुनिक और नवीनतम क्लाउड आधारित डेटा भंडार की स्थिति; आवश्यक जानकारी या कंप्यूटर उपकरण नहीं रखने वाले नागरिकों को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए भारत भर के सभी न्यायालय परिसरों को ई-सेवा केंद्रों के साथ संतृप्त करना; पेपरलेस न्यायालय एक डिजिटल प्रारूप के अधीन न्यायालय की कार्यवाही लाने के उद्देश्य से भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही और मामलों के त्वरित निपटान के लिए; जिला अस्पतालों, अधिक न्यायालयों और जेलों, पुलिस स्टेशन आदि को कवर करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना है। न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग जिससे हितधारक के साथ-साथ छात्रों को लाइव न्यायालय की कार्यवाही देखने की अनुमति मिलती है, जिससे न्यायालय प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है; ऑनलाइन न्यायालयों का उद्देश्य न्यायालय में वादियों या अधिवक्ताओं की उपस्थिति को खत्म करना है, इस प्रकार समय और धन की बचत होती है;

एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र ; यातायात चालान के न्यायनिर्णयन से परे आभासी न्यायालयों के दायरे का विस्तार।

परियोजना एक ""स्मार्ट"" पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने में मदद करेगी।" रजिस्ट्रियों में बेहतर निर्णय लेने और नीति योजना बनाने की सुविधा के लिए कम डेटा प्रविष्टि और न्यूनतम फ़ाइल जांच होगी। इस प्रकार ई न्यायालय चरण-III न्यायिक प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगा और देश के सभी नागरिकों को न्यायालय के अनुभव को सुविधाजनक, सस्ती और परेशानी मुक्त बनाकर न्याय में आसानी सुनिश्चित करने में अंतिम मील न्याय वितरण के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा।

भारत सरकार ने नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करने और कारबार में आसानी और नागरिकों के लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए अप्रचलित और अनावश्यक विधियों को निरस्त करने के लिए कदम उठाए हैं। इस संबंध में, 2014 से आज तक, 1486 अनावश्यक विधियों को निरस्त कर दिया गया है। निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 के माध्यम से 76 और अनावश्यक अधिनियमों को निरस्त करने के लिए विधायी कार्रवाई की गई है।

इसके अलावा, लोगों को विधि के अधीन उनके अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों से अवगत कराने के लिए, विधिक सेवा प्राधिकारियों द्वारा बच्चों, मजदूरों, आपदा के पीड़ितों, विकलांगता से पीड़ित एससी और एसटी व्यक्तियों आदि से संबंधित विभिन्न विधियों और योजनाओं पर देश भर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकारियों ने विभिन्न विधियों पर समझने योग्य भाषा में पुस्तिकाएं और पैम्फलेट भी तैयार किए हैं जो लोगों के बीच वितरित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) समाज के कमजोर वर्गों और विचाराधीन तथा सिद्धदोष कैदियों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और हकदारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर विभिन्न अभियान भी आयोजित करता है। यह विभिन्न कल्याणकारी विधानों और योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने, लक्षित लाभार्थियों की पहचान करने और व्यक्तिगत रूप से लोगों तक पहुंचने और उनकी विधिक समस्याओं को दूर करने के त्रिस्तरीय उद्देश्य के साथ विधिक शिविर भी आयोजित करता है। वर्ष 2017 से नालसा द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम के वर्ष-वार ब्यौरे उपाबंध-क में संलग्न हैं ।

****

डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव और दस अन्य, (सांसदों) द्वारा 15.12.2023 को किए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2080 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

2017-18 से 2023-24 (सितंबर, 23 तक) की अवधि के दौरान आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम और भाग लेने वाले व्यक्ति।

वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या
2017-18	1,65,124	2,16,09,724
2018-19	1,76,916	1,98,56,363
2019-20	2,27,394	3,16,31,228
2020-21	1,26,541	1,30,69,637
2021-22	11,34,086	58,41,26,827
2022-23	4,90,055	6,75,17,665
2023-24 (सितंबर,23 तक)	1,93,605	1,76,93,492

****